न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 93/2017

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. माणकचन्द पुत्र हंसराज 2. गोतमचन्द पुत्र जांवतराज जाति-औसवाल, निवासी-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.02.05.2017

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री शिवरतनराज भण्डारी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 04/06/2019

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी **सरहद मौजा-पातुस, पटवार मण्डल-बिरोल, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 50/9 रकबा 6-07 बीघा** की आई हुई हैं। उक्त आराजी का वादी भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) हैं, प्रतिवादीगण आराजी जैर बाहर के खातेदार काश्तकार हैं। **प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02** ने साथ मिलकर जमीन वर्णित धारा 1 वाद-पत्र को कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएँ किस्म परिवर्तित कर **प्लोटिंग** जमीन को खुर्दबुर्द कर रहे हैं, जिसका प्रतिवादी को कोई हक नहीं प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की हैं, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुक्शान हुआ हैं। प्रतिवादी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादी को जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत दिनांक 06/04/2017 को पैदा हुआ, जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादी द्वारा जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र के अवैध रुप से **प्लोटिंग** का कार्य करने की सूचना जरिए रिपोर्ट दी।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से वकालातनामा पेश हुआ। वकील अप्रार्थीगण ने जबाब पेश किया कि खसरा नम्बर 50/9 रकबा 6-07 बीघा कृषि भूमि गांव पातसू की सरहद में हैं। जिसके वे खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने उक्त मुतनाजा जमीन में किसी प्रकार की प्लोटिंग नहीं की गई हैं। पटवारी ने तारीख 24/03/2017 की मौका रिपोर्ट मय नक्शा बदयान्तीपूर्वक बिल्कुल झूठी रिपोर्ट दी हैं। क्योंकि मुतनाजा जमीन पर कोई आवासीय कॉलोनी नहीं काटी गई। जबकि मतुनाजा जमीन पूरे में अग्रेजी बबूल की झाडी और अंग्रेजी बबूल के पेड खडे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हैं। जबाब के साथ मुतनाजा जमीन में अंग्रेजी बबूल की झाडी होने की रंगीन फोटो पेश ही जा रही हैं और सच्चाई दृष्टिगोचर हो जायेगी। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून की शर्तो का कोई उल्लघंन नहीं किया हैं। इस कारण राजस्थान सरकार को राजस्व का नुक्शान होने का कोई सवाल नहीं उठाता हैं। बदयान्तीपूर्वक जानबूझकर परेशान करने के लिए मनगढन्त तथ्यों को प्लीड किया गया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का मुतनाजा जमीन में हानिप्रद कार्य नहीं किया हैं। जिससे राजस्थान सरकार को नुक्शान पहूँचाया गया हो। क्योंकि मुतनाजा जमीन में किसी प्रकार की प्लोटिंग नही की गई। फिर भी पटवारी द्वारा झूठी व गलत रिपोर्ट मौका फर्द मय नक्शा की बनाई गई हैं। ऐसी झूठी मौका फर्द मय नक्शा के आधार पर कानूनन प्रतिवादीगण को मुतनाजा जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता हैं। जबकि मुतनाजा जमीन में किसी प्रकार की प्लोटिंग ही नहीं की गई, तो बिनाय दावा पैदा नहीं होता हैं। पटवारी द्वारा गलत व झूठी मौका फर्द मय नक्शा बनाकर गलत दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ किया। इस कारण धारा 177, 92क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् दावा चलने काबिल नहीं हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि बदयान्तीपूर्वक पटवारी ने झूठी व गलत मौका फर्द मय नक्शा बनाया गया हैं। इस कारण प्रतिवादीगण बेवजह परेशान व तंग हुए। इसलिये प्रार्थी का वाद मय खर्चा खारिज फरमावें। बहस सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की सुनी गई। बहस समायत की गई। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान फहरिश्त दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा मूंग की फसल बोई हुई हैं। जिसकी गिरदावरी पेश हैं। विवादित आराजी पर किसी प्रकार से कोई प्लोटिंग आदि नहीं की गई हैं। उक्त वाद खारिज फरमावें।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील अप्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः भू-अभिलेख निरीक्षक मय पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट ली गई। जिसमें उक्त आराजी खसरा नम्बर 50/9 में वर्तमान में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण या प्लोटिंग नहीं किया जाना बताया गया हैं। मौके पर वर्तमान में बबूल की झाडीयां एवं गौबर के ढेर पडे हैं। वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर बोई गई मूंग की फसल की गिरदावरी पेश की हैं। जबाबदावा के साथ फोटोग्राफी आदि पेश किये हैं। जिससे यह जाहिर हैं कि उक्त आराजी पर किसी प्रकार से कोई प्लोटिंग होना प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होन से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/06/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner